4 एससीआर 461

1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थिति (

2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 406)

08 मई, 2018

[मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता, जेजे]

जेल: विचाराधीन - विचाराधीन समीक्षा समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कार्यान्वयन - जेलों में भीड़भाड़ - उच्च न्यायालयों को जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को स्वत: संज्ञान रिट याचिका के रूप में लेना चाहिए - जेल कर्मचारियों में रिक्तियां - उच्च न्यायालय इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान रिट याचिका के रूप में देखने के लिए - भारत सरकार महिला कैदियों और उनके बच्चों पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक अध्ययन कर रही है - मंत्रालय अध्ययन पर विचार करेगा। रिपोर्ट - राज्य सरकार खुले सुधार संस्थानों के प्रशासन के लिए मॉडल समान नियम नामक मॉडल नियमों को अधिसूचित और कार्यान्वित करेगी - राज्य सरकारें इन खुली जेलों की मौजूदा क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करें और यदि आवश्यक हो तो उचित समय पर इन खुली जेलों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करें - मामले को 2.8.2018 को सूचीबद्ध किया जाए।

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: 2013 की रिट याचिका (सिविल)

संख्या 406।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

ए.एन.एस. नाडकर्णी, एएसजी, विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सौरभ मिश्रा, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एस.एस. शमशेरी, एएजी, गौरव अग्रवाल (एसी), आर.एम.बजाज, सुश्री बीनू टम्टा, आर.बाला, सुश्री सुषमा सूरी, बी.के. शुवोदीप रॉय, सयूज मोहनदास एम., एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्ज्वल सिंह, मोजाहिद करीम खान, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अंशुमन श्रीवास्तव, एसएस रेबेलो, अपूर्व भुमेश, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री ममता सिंह, सुश्री विशाखा, सुश्री शोधिका शर्मा, सुश्री पल्लवी बघेल, अजय मारवाह, मूल सिंह, बी.के. मो. वाक्वास, आदित्य प्रताप सिंह, वी.एन.रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, सी. के. शशि, अर्जुन गर्ग, महालिंग पंडरगे, निशांत आर. कटनेश्वरकर, लीशांगथेम रोशमणि के., सुश्री मैबम बबीना, रंजन मुखर्जी, डैनियल स्टोन लिंगदोह,



के. वी. खरलिंदोह, के. एन. मधुसूदनन, नित्या मधुसूदनन, टी. जी. नारायणन नायर, श्रीमती के. अनातोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, जेड. एच. इसाक हैडिंग, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, अशोक पाणिग्रही, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दून, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, सुश्री अशोक पाणिग्रही, सुश्री आशा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दून, सुश्री भावना दून, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, अशोक पाणिग्रही, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दूहून, सुश्री भावना दून, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री रुचि सिंह, सुश्री आशा शर्मा, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, सुश्री आशा चौधरी, सुश्री भावना चौधरी, सुश्री भावना चौधरी, सुश्री रुचि सिंह, सुश्री आशा शर्मा, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, अशोक पाणिग्रही, सुश्री आशा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दूहून, सुश्री भावना दून, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, अशोक पाणिग्रही, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दूहून, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री रुचि

कोहली, सुश्री संदीप सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री आशा शर्मा  अरुणा माथुर, अवनीश अरपुथम, सुश्री अनुराधा अरपुथम, सुश्री सिमरन जीत (मेसर्स अरपुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए), शुवोदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, एम योगेश कन्ना, सुजाता बागधी, गर्वेश काबरा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री मोनिका, सुश्री सुदीप्ता, सुहान मुखर्जी, हर्ष हीरू गुसहांबी, विशाल प्रसाद, सुश्री आस्था शर्मा, अमजद मकबूल, अमित वर्मा (पीएलआर चेमर्स एंड कंपनी के लिए), भूपेश नरूला,  के. वी. जगदीश्वरन, श्रीमती जी. इंदिरा, एम. एस. दोबिया, एस. एस. रावत, वी. जी. प्रगासम, एस. प्रबु रामसुब्रमण्यम, एस. मनुराज, टी. एन. रामा राव, हितेश कुमार शर्मा, टी. वीरा रेड्डी, सुश्री रितु कुमार, सुश्री प्रज्ञा सिंह, सत्या मित्रा, कमल मोहन गुप्ता, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत कुमार त्यागी (मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स के लिए), पुखरामबम रमेश कुमार,  उपस्थित पक्षों के लिए हिमांशु अग्रवाल, यश एस. विजय, अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: आदेश

हमने विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत सुनवाई के नोट अवलोकन किया

हमने न्यायमित्र के साथ-साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य विद्वान वकीलों को सुना है।

आज विचार के लिए छह मुद्दे हैं: 1. विचाराधीन समीक्षा समिति

श्री सुरिंदर एस राठी, निदेशक, नालसा द्वारा यह कहा गया है कि विचाराधीन समीक्षा समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार है।

न्यायमित्र का कहना है कि वह इस पर गौर करेंगे और शायद एनएएलएसए के साथ कुछ और चर्चा करेंगे।

किसी भी स्थिति में, एसओपी को 30 जून, 2018 को या उससे पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।

जैसे ही एसओपी को अंतिम रूप दिया जाता है, इसे कार्यान्वयन के लिए सभी जिला न्यायाधीशों और विचारणाधीन समीक्षा समितियों को परिचालित किया जाना चाहिए। 1382 जेलों में फिर से अमानवीय स्थिति

यदि एसओपी के कार्यान्वयन में कुछ बाधाएं हैं, तो इसे एनएएलएसए के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि आवश्यक या सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

इस मुद्दे पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

हम एसओपी का मसौदा तैयार करने में शामिल एनएएलएसए में श्री राठी और अन्य लोगों को बधाई देते हैं और उनके प्रयासों के लिए हम सराहना करते हैं। 2. जेलों में भीड़-भाड़

न्यायमित्र द्वारा दिए गए नोट से यह प्रतीत होता है कि जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को जेल अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कई जेलें ऐसी हैं जहां भीड़भाड़ 100% से अधिक है और कुछ मामलों में यह 150% से अधिक है।

हमारी राय में, इस मामले पर प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए ताकि जेलों में भीड़भाड़ में कुछ स्वस्थचित्तता हो क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है।

इन परिस्थितियों में, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को स्वत: संज्ञान रिट याचिका के रूप में लिया जाए।

महासचिव को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की एक प्रति भेजनी चाहिए और हमें वापस रिपोर्ट करनी चाहिए।

3. जेल कर्मचारियों में रिक्तियां

न्यायमित्र के नोट से, हम पाते हैं कि एक बार फिर जेल अधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा जेलों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए बहुत कम रुचि दिखाई जा रही है। जाहिर है, जेल प्रशासन पर इसका अपना प्रभाव है।

न्यायमित्र के नोट को देखते हुए, हमारी राय है कि इस मामले को प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

तदनुसार, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को स्वत: संज्ञान रिट याचिका के रूप में लें।

महासचिव को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए महासचिव प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की एक प्रति भेजे और हमें वापस रिपोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.

4. महिला कैदी और उनके बच्चे

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार महिला कैदियों और उनके बच्चों पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के माध्यम से एक अध्ययन कर रहा है। उनका कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार अध्ययन 30 जून, 2018 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद मंत्रालय अध्ययन को देखेगा और आवश्यक कदम उठायगा उन्होने आगे कहा कि विचार में लगभग 2 या 3 सप्ताह लगेंगे।

इस उद्देश्य के लिए, मामले को 2 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध करें।

5. प्रशिक्षण नियमावली

ब्यूरो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने जेल अधिकारियों और जेल वार्डरों के लिए कुछ प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है।

हम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राज्य पुलिस अकादमियों से अपेक्षा करते हैं कि वे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों का लाभ उठाएं और उचित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करें।

जब भी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को जेल कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना आवश्यक लगेगा तो यह निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे जानकारी के लिए विद्वान एमिकस क्यूरी के ध्यान में लगायेगे।

इस मुद्दे पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. खुली जेल:

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहा गया है कि खुली जेलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

वास्तव में, खुले सुधारात्मक संस्थाओं के प्रशासन के लिए मॉडल यूनिफॉर्म नियम नामक मॉडल नियम तैयार किए गए हैं।

जहां तक भारत संघ का संबंध है, ये नियम निर्णायक हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इन मॉडल नियमों को अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया जाएगा।

हम आशा करते हैं कि इन मॉडल नियमों के प्राप्त होने पर राज्य सरकारों द्वारा इन नियमों को निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से अधिसूचित करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 1382 जेलों में फिर से अमानवीय स्थिति

यह एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही 63 खुली जेल हैं, लेकिन मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

हम संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वे न केवल इन खुली जेलों की मौजूदा क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करें और यदि आवश्यक हो तो समय के साथ इन खुली जेलों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी यथासंभव अधिक से अधिक स्थानों पर खुली जेलों की स्थापना की व्यवहार्यता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मामले को 2 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध करें।

देविका गुजराल के निर्देश जारी।

(श्रीमती मंजुला मिश्रा)

अपर सिविल जज, जू०डि०–2/जे०एम०